



प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 20 अगस्त, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी जयहिन्द पुत्र श्री रामनाथ, निवासी जनपद-हमीरपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु०), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-9469/प्रोबे०-5-दया० बैठक-09.02.2026, दिनांक 16.03.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी जयहिन्द पुत्र श्री रामनाथ (दिनांक 13.09.2025 तक 84 वर्ष 05 माह 12 दिन), ग्राम-किसवाही, थाना-सिसौलर, जनपद-हमीरपुर का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 10.01.1990 को 13 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कुल्हाड़ी, फरसा, रायफल व दुनाली बन्दूक से मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या- 44/1991 में भा०द०वि० की धारा-302/149, 147, 148 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, विशेष न्यायाधीश ई०सी० एक्ट, हमीरपुर के आदेश दिनांक 20.06.2000 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 19.02.2020 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 13.09.2025 तक अपरिहार 04 वर्ष, 06 माह, 29 दिन तथा सपरिहार 05 वर्ष, 07 माह, 23 दिन की सजा भोगी गयी है।

पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर ने बन्दी द्वारा कारित अपराध पूरे समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये जाने, भविष्य में अपराध कारित करने से इन्कार नहीं किये जाने, पुनः अपराध कारित करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, जेल में और आगे निरुद्ध रखा जाना न्यायोचित होने, परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत रिहाई का विरोध करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति की आख्यानानुसार बन्दी को मा० न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 13.09.2025 तक अपरिहार 04 वर्ष, 06 माह 29 दिन तथा सपरिहार 05 वर्ष, 07 माह 23 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष समयपूर्व रिहाई होने से समाज में प्रतिकूल संदेश जाने, बन्दी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति 04 व्यक्तियों की जघन्य हत्या तथा पुलिस अधीक्षक/ जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी जयहिन्द (बन्दी संख्या-43/2025) पुत्र श्री रामनाथ, निवासी जनपद-हमीरपुर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

उक्त आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-1122/2026/473(1)/22-2-2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर।
- 2- पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर।
- 3- अधीक्षक, जिला कारागार, नैनी, प्रयागराज।
- 4- निजी सचिव, माO मंत्री/माO राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उOप्रO शासन को माO मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।